

**उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड**

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:- 3372 -औसं-17/पाकालि/2021-11(1)ए0एस0/09(20)

दिनांक: 30 अक्टूबर, 2021

विषय:- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि दिनांक 30.04.2022 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।**कार्यालय ज्ञाप**

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2241-औसं-17/पाकालि/2021-11(1)ए0एस0/09(20) दिनांक 16.08.2021 की सूची-2 के अनुक्रम में कारपोरेशन द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता कारपोरेशन के आदेश सं0-4452-औसं-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवम आदेश संख्या-3593-औसं-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-3330-औसं/2018-11(28)ए0एस0/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन दिनांक 01.11.2021 से अग्रेतर दिनांक 30.04.2022 तक एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

क्र0सं0	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता की अन्तिम प्रभावी तिथि
लखनऊ 1	एस0सी0 त्रिवेदी मैमोरियल मदर एण्ड चाइल्ड ट्रस्ट हॉस्पिटल, ए-1/7, सेक्टर-एच, निकट केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।	30.04.2022
2	अभिनव दृष्टि नेत्र चिकित्सालय, बी-719, सेक्टर-सी, महानगर, लखनऊ। (नेत्र रोगों हेतु एकल विशिष्टता)	30.04.2022
3	प्रकाश नेत्र केन्द्र, एन0एच0-2, विपुल खण्ड-4, गोमतीनगर, लखनऊ। (नेत्र रोगों हेतु एकल विशिष्टता)	30.04.2022
4	लखनऊ आई हॉस्पिटल, 82/40-का, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग लाल कुआ, लखनऊ। (नेत्र रोगों हेतु एकल विशिष्टता)	30.04.2022
5	गुप्ता हॉस्पिटल, विजयनगर, कानपुर रोड, लखनऊ।	30.04.2022
6	लखनऊ हॉस्पिटल, बी-1, सिंघुनगर कृष्णानगर (थाने के पीछे), कानपुर रोड, लखनऊ।	30.04.2022
7	प्रिंसीजन यूरोलॉजी हॉस्पिटल, 652बी/37 प्रताप नगर रिंग रोड, टेढ़ी पुलिया, पोस्ट-विकास नगर, लखनऊ। (यूरोलॉजी हेतु एकल विशिष्टता)	30.04.2022
8	लखनऊ कैन्सर इन्स्टीट्यूट, (A Division of Raj Scanning Ltd.) 1, मानसनगर जियामऊ, लखनऊ।	30.04.2022
9	रिलीफ हॉस्पिटल, निकट-रामानन्द मार्केट, त्रिवेणीनगर, एन0एच0-24, सीतापुर रोड, लखनऊ।	30.04.2022
10	चन्दन हॉस्पिटल, फैजाबाद रोड निकट चिनहट फ्लाईओवर, विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ।	30.04.2022
11	डिवाइन हार्ट एण्ड रिसर्च सेण्टर, विराज खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।	30.04.2022
12	एस0के0डी0 हॉस्पिटल के0बी0सी0-27, सेक्टर-बी, कानपुर रोड, आलमबाग, लखनऊ।	30.04.2022
13	टी0सी0आई0 सेण्टर, बी-05/36, विनय खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।	30.04.2022
मेरठ 14	सैंट ल्यूक्स हॉस्पिटल, साकेत, मेरठ। (मिशनरी हास्पिटल)	30.04.2022

Nal

15	धनवन्तरी जीवन रेखा लिमिटेड मेरठ। (हृदय के क्रेडिट उपचार एवं सामान्य चिकित्सा)	30.04.2022
गाजियाबाद 16	मानव मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, बी-ब्लॉक मार्केट, कविनगर, गाजियाबाद। (सामान्य चिकित्सा एवं गम्भीर रोगों हेतु कैशलेस की सुविधा)	30.04.2022
कानपुर 17	चौदनी हॉस्पिटल, 9/60 आर्यनगर, कानपुर।	30.04.2022
प्रयागराज 18	प्राची हॉस्पिटल, सेक्टर-सी-105, शान्तिपुरम्, फाफामऊ, प्रयागराज।	30.04.2022
वाराणसी 19	लाइफ लाइन हास्पिटल, एच-2, ब्रिज इन्क्लेव डी0एल0डब्लू0, बी0एच0यू0 रोड, सुन्दरपुर, वाराणसी।	30.04.2022

1. उक्त चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थानों को कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी0जी0एच0एस0-2014 की मानक दरें ही अनुमन्य की जायेगी एवं निर्धारित दरों से अधिक चार्ज करने पर चिकित्सालय की मान्यता समाप्त करने का अधिकार कारपोरेशन प्रबन्धन को होगा। चिकित्सालयों को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनके द्वारा प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालयों की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. सूचीबद्ध किसी भी चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:- 3372 -(1) औसं-17/पाकालि/2021-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/ (वितरण)/ (वित्त), (वाणिज्य)/ (कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केसको, कानपुर।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

Nal

12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. प्रबन्धकगण-सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcel.org-Medical/E-Book पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. कट फाइल।

Naf Mathur
(नवनीत माथुर) 30.10.21
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी